तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **नरेन्द्र राम बेरा** **बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा)** सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353635478294381	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/04/25	अपीलार्थी नरेन्द्र राम बेरा निवासी बीरो की ढाणी हरियाघाणा बिलाड़ा जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 07.03.2025 को प्रथम अपील क्रमांकः 353608455067760 दिनांक 08.01.2025 के निर्णय दिनांक 05.02.2025 को आपके कार्यालय को कब प्राप्त हुई आवक रजिस्टर के क्रमांक व दिनांक जिस पेज में दर्ज है उस पेज की प्रमाणित प्रति एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील में रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 113–114 दिनांक 15.04.2025 का अवलोकन किया गया जिसमें मंगलाराम पुत्र चिमनाराम से पीएम किसान सम्मान निधि राशि की वसूली करवाने बाबत तहसीलदार पीपाड़ से पत्राचार किया गया है परंतु रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई या नही तथा सूचना उपलब्ध न करवाने का कारण/स्पष्टीकरण का उल्लेख नही किया गया तथा रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) द्वारा किसी प्रकार की पृथक से कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नही दी गई मात्र तहसीलदार पीपाड़ शहर से किये गये पत्राचार (पत्र क्रमांक 112 दिनांक 15.04.2025) की प्रति प्रेषित कर दी गई। इस प्रकार रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रथम अपील प्रकरणों को गंभीरता से नही लिया जा रहा है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे तथा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रकरणों को गंभीरता से लिया जाकर निर्धारित समयावधि में स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करें। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर	

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.30 16:51:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15013276